



**कार्यालय मुख्य आयुक्त**  
Office of the Chief Commissioner  
सीजीएसटी एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क (जयपुर परिक्षेत्र), जयपुर  
CGST & Central Excise (Jaipur Zone), Jaipur  
(कैंडर कन्ट्रोल यूनिट)

**स्थापना आदेश संख्या : सी.सी.यू.- CCU -47 /2025**

डीडीए, एसओ परीक्षा, 2023 के माध्यम से दिल्ली विकास प्राधिकरण, नई दिल्ली में सहायक अनुभाग अधिकारी के पद पर चयन के परिणामस्वरूप, श्री विशाल मलिक, निरीक्षक (समूह 'बी'-गैर राजपत्रित), सीजीएसटी आयुक्तालय, उदयपुर द्वारा दिनांक 12.06.2025 को दिया गया तकनीकी त्यागपत्र को दिनांक 19.06.2025 से स्वीकार किया जाता है।

Consequent upon selection to the post of Assistant Section Officer in Delhi Development Authority, New Delhi through DDA, ASO Examination, 2023, the **Technical Resignation** dated 12.06.2025 tendered by Shri Vishal Malik, Inspector (Group 'B' -Non Gazetted), CGST Commissionerate, Udaipur is hereby accepted **w.e.f. 19.06.2025**.

चूंकि अधिकारी ने परीक्षा अवधि पूरी नहीं की है और इस विभाग में निरीक्षक के पद पर स्थायी नहीं हुए हैं, इसलिए निरीक्षक ग्रेड में विभाग में उनका कोई ग्रहणाधिकार नहीं रहेगा।

As the officer has not completed the probation period and has not been confirmed in this department on the post of Inspector, therefore, he will not retain any lien in the department in grade of Inspector.

यह आदेश नियुक्ति प्राधिकारी की संस्वीकृति से जारी किया जा रहा है।

This order issues with the approval of the Appointing Authority.

**(अनुपमा सक्सेना)**  
**सहायक आयुक्त**

फा.स. GCCO/II/33/19/2020

प्रतिलिपि निम्न को सूचना एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रस्तुत है-

1. निजी प्रति- श्री विशाल मलिक, निरीक्षक, सी.जी.एस.टी. एवं के. उ. शु. आयुक्तालय, उदयपुर।
2. संयुक्त आयुक्त (का. एवं सत.), सी.जी.एस.टी. एवं के. उ. शु. आयुक्तालय, उदयपुर को उनके कार्यालय के पत्र सं. II/(39)/OTH/301/2021-ESTT-O/o COMMR-CGST-UDAIPUR I/3095533/2025 दिनांक 17.06.2025 के संदर्भ में प्रेषित कर लेख है कि श्री विशाल मलिक, निरीक्षक को कार्यभार मुक्त करने से पूर्व यह सुनिश्चित करें कि उनके विरुद्ध कोई सरकारी / विभागीय देयता एवं सतर्कता / असतर्कता सम्बन्धी प्रकरण इत्यादि लम्बित नहीं है। तत्पश्चात श्री विशाल मलिक, निरीक्षक को कार्यभार मुक्त कर इस कार्यालय को कार्यभारमुक्ति आदेश की प्रति प्रेषित करें।
3. प्रधान आयुक्त/ आयुक्त, सी.जी.एस.टी. एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्तालय, जयपुर/अलवर/उदयपुर/जोधपुर/अंकेक्षण जयपुर /अंकेक्षण जोधपुर/ अपीलस, जयपुर/अपीलस, जोधपुर/सीमा शुल्क आयुक्तालय, मुख्या.-जयपुर।
4. वेतन एवं लेखाधिकारी, अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क, जयपुर।
5. अधीक्षक (प्रशा./सत.), मुख्य आयुक्त कार्यालय, सी.जी.एस.टी. एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क जोन, जयपुर।
6. वेबमास्टर, सी.जी.एस.टी. एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, जयपुर को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।
7. गार्ड फाईल/ निजी पत्रावली/ सेवा पुस्तिका/ संबंधित एसोसियेशन/ सूचना पट्ट।